मई दिवस का संक्षिप्त इतिहास

बेईमान की इस दुनिया में एक दिवस ईमान का

एक मई त्यौहार सृष्टि के मेहनतकश इंसान का

मई दिवस के शहीदों को शत्–शत् नमन

अमेरिका के शिकागो शहर में हे मार्केट स्कवायर पर मजदूरों पर बर्बर गोलीकांड के बाद झूठे मुकदमे में फंसाकर मजदूर नेताओं को दिये गये फांसी के फंदे से कुर्बान मई दिवस के अमर शहीदों को शत्–शत् नमन एवं भारत के मजदूर वर्ग एवं एनएफटीई की ओर से श्रद्धांजलि

अल्बर्ट पार्सन्स, अगस्त श्पीस, सैमुअल फील्डैन, मिखाइल श्क्वाब, अडोल्फ फीशर, जार्ज इंगेल और लुइस लींग फांसी के पूर्व दिन जेल में हत्या, आस्कर नीबे (15 वर्ष की सजा)

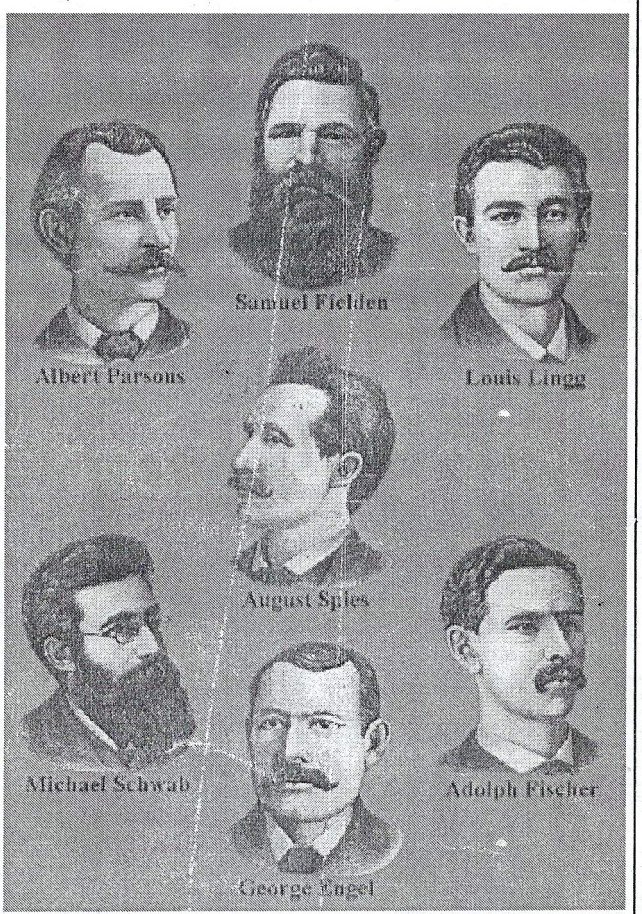

19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमरीका में 8 घंटे के काम के आंदोलन ने जोर पकड़ा। 1885 में अमरीका के तत्कालीन मजदूर संगठन फेडरेशन ऑफ आर्गनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन ऑफ दी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया जिसने 8 घंटे के काम की मांग के लिए 1 मई 1886 को हड़ताल पर जाने के लिए मजदूरों का आह्वान किया। इस आह्वान के अनुसार तमाम अमरीका में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। इस हड़ताल का सबसे अधिक असर शिकागो में पड़ा। हड़तालों की इतनी बड़ी लहर अमरीका में पहले कभी नहीं देखी गई थी। शिकागो में तो पहली मई के बाद भी हड़ताल जारी रही।

पूंजीपति वर्ग और नियोक्ताओं ने इसे अपनी सत्ता के लिए बड़ी चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने समूचे मजदूर आंदोलन को ही कुचलने की साजिश रची। 3 मई 1886 को जब शिकागो में म्कॉर्मिक रीपर्स वर्क्स नामक एक कारखाने में हड़ताली मजदूर मीटिंग कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक हमला किया। पुलिस की इस नृशंसता के विरूद्ध 4 मई 1886 को मजदूरों ने हे मार्केट चौक पर आम सभा का ऐलान किया। वहां पर प्रदर्शन और आम सभा शांतिपूर्वक चल रही थी परन्तु जब सभा समाप्त हो रही थी और सभा में शामिल लोग वहां से जा रहे थे तो किसी ने भीड़ में एक बम फेक दिया जिससे एक पुलिस वाला मारा गया। उसके बाद वहां अफरातफरी मच गई।

सरकार और पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में मजदूरों के आठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और एक फर्जी मुकदमा चलाकर चार नेताओं –अल्बर्टपार्सन्स, अगस्त स्पाइस, एडाल्फ फिशर और जार्ज एंगेल को फांसी की सजा सुना दी। गिरफ्तार नेताओं में से एक–लुईस लिंग्ग ने जेल में आत्महत्या कर ली जबकि तीन नेताओं–नीबे, श्वाब, फील्डेन को जेल की सजाएं दी गई।

1883 में गर्वनर एटजल्ड ने जेल में बंद तीन नेताओं को रिहा कर दिया और स्पष्ट किया कि वह उन्हें माफी नहीं दे रहे हैं बल्कि इसलिए छोड़ रहे हैं कि वे इस अपराध के लिए जिम्मेदार ही नहीं थे। गर्वनर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन चार नेताओं को फांसी दी गई वह भी किसी अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं थे। वे पूंजीपतियों के "उन्माद" के शिकार हो गये और एक "पूर्वाग्रहग्रस्त जज" ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। (सौजन्य- ट्रेड यूनियन रिकार्ड)